

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-3, October 2022

www.theresearchdialogue.com



“राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहु विषयक शिक्षा, 2020”

अमर सिंह

शोधार्थी

बी0एड0/एम0एड0 विभाग (आई0ए0एस0ई0), शिक्षा और
संबद्ध विज्ञान संकाय,
एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ0प्र0), भारत
ईमेल पता – amarmjpru088@gmail.com

डॉ0 गौरव राव

सह-आचार्य


बी0एड0/एम0एड0 विभाग (आई0ए0एस0ई0), शिक्षा और
संबद्ध विज्ञान संकाय,
एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ0प्र0), भारत
ईमेल पता – grao@mjpru.ac.in

सारांश :

समाज अपने उत्तरोत्तर विकास की दिशा में तबतक नहीं चल सका है जबतक उस समाज की शिक्षा व्यवस्था में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सकारात्मक बदलाव नहीं कर दिए जाते / इस आवश्यकता को जानकर सभी समाज अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में बदलाव लाते हैं / शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए यह बदलाव विभिन्न शिक्षा नीतियों, घोषणा-पत्रों, अधिनियमों आदि को लागू करके किये जाते हैं / भारतीय शिक्षा व्यवस्था में धनात्मक सुधार के लिए तथा समाज के उत्थान और बदलते स्वरूप की मांग के अनुसार वर्तमान समय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है / नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख संस्तुतियों में से बहु विषयक शिक्षा प्रदान करना एक मुख्य संस्तुति है / सामान्यता भारत की समग्र और बहु विषयक रूप में ज्ञान प्रदान करने की प्राचीन परम्परा रही है / इस बात का प्रमाण तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हैं जहां विभिन्न विषयों का ज्ञान सयोजित रूप में प्रदान करने की परम्परा थी / इन प्राचीन विश्वविद्यालयों के साहित्य भंडार के कारण हमारा भारत कभी विश्वगुरु के रूप में विस्थापित था / इस नीति की बहु विषयक शिक्षा द्वारा फिर से वही प्राचीन बहु विषयक समाज बनाने की कल्पना की गयी है / यह शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा प्रणाली संरचना, पाठ्यक्रम, माध्यम, सिद्धांत, मूल्यांकन प्रणाली आदि में अनेकों बदलाव की बात करती है जिससे भारतीय समाज फिर से बहु सौच और बहु अनुभवी बनेगा /

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बहु-विषयक शिक्षा का तात्पर्य विद्यार्थियों को बहु-विषयी ज्ञाता के रूप में विकसित करना है जिससे वे अपने व्यावहारिक जीवन की सभी समस्याओं को स्वयं के प्रयास से सुलझा पाएं। वर्तमान समाज 21वीं सदी का है जहां विज्ञान ने प्रकृति की कई रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाकर मानव को पहले से अधिक चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में मानव को केवल एक विषय विशेष का ज्ञान देना उसे एक सीमित दायरे में तैयार करने जैसे होगा। इस बात का प्रमाण हमारा प्राचीन भारतीय समाज जहां शिक्षा को बहु-विषय रूप में प्रदान किया जाता था। उस बहु-विषयक शिक्षा को भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से छात्र प्राप्त करने के लिए आया करते थे। इस बहु-विषयक ज्ञान से भारत को उस समय विश्व गुरु कहा जाता था इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उसी भारतीय समाज की कल्पना की गयी है। इस प्रकार बालक को बहु-विषयी बनाने के लिए इस नीति में दो प्रमुख बातों की चर्चा की गयी है, प्रथम यह कि अब उन उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एकल संकाय के रूप में चल रहे हैं उनमें विभिन्न विषयों के विभागों को स्थापित करना होगा और दूसरा यह है कि विद्यार्थियों को किसी एक विषय की विशेषज्ञता के साथ-साथ अन्य विषयों की सामान्य समझ के लिए समन्वित प्रयास करना होगा। विषय में विशेषज्ञता और अन्य विषयों की सामान्य समझ के लिए विद्यार्थी बहु-विषयक शिक्षा को मुख्य और गौण विषयों के माध्यम से प्राप्त करेंगे जिससे उनमें रचनात्मक क्षमताओं का विकास होगा। शिक्षा नीति (2020, 56) के अनुसार यह लक्ष्य सर्वप्रथम 2030 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और शेष बचे लक्ष्य को 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह लक्ष्य सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए



होगा। इस बहु-विषयक शिक्षा द्वारा पूर्व में कोठारी कमीशन 1964-66 द्वारा की एक प्रमुख संस्तुति विषयों में अलगाव की भावना को भी जड़ से मिटाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020, प्रष्ठ 55) में उल्लेख किया गया है कि यह बहु विषयक शिक्षण संस्थान अब तीन प्रारूपों में पुनर्गठित किए जाएंगे जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय, शिक्षण गहन विश्वविद्यालय व स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज। शोध गहन विश्वविद्यालय शोध पर विशेष कार्य करेंगे लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण भी संचालित करेंगे। इन विश्वविद्यालयों में अंतर विषयक शोध और शिक्षण का कार्य होगा। शिक्षण गहन विश्वविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण पर अधिक बल देंगे लेकिन शोध कार्य भी इन विश्वविद्यालयों में संचालित किए जाएंगे (एन0ई0पी0 2020, प्रष्ठ 55)। संबद्ध कालेज की प्रणाली को इस नीति के में 2030 तक समाप्त करने का उल्लेख किया गया है और अब इनका स्थान स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज लेंगे। इन कॉलेजों में बी0ओ0जी0 जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं नामक एक संगठन बनाया जाएगा जिसमें योग्य शिक्षकों को रखा जाएगा जिन्हें नेतृत्व, प्रशासन और प्रबंधन का विशेष ज्ञान है। यह संगठन कॉलेज के आंतरिक प्रशासन के बारे में निर्णय लेगा (एन0ई0पी0 2020 प्रष्ठ 80)। बहु विषयक शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित होने के उपरांत यह संस्थाएं अपने प्रांगण में चार वर्षीय स्नातक, चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम और पांच वर्षीय स्नातक परास्नातक कार्यक्रमों को संचालित कर सकेंगी (एन0ई0पी0 2020, प्रष्ठ 67, 68 तथा 69)। इसके साथ ही यह संस्थाएं उच्चतर गुणवत्ता बहु विषयक और अंतर विषयक शिक्षण एवं अनुसंधान को भी संचालित कर सकेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने का उल्लेख किया गया है जो इन अंतर विषयक शोधों के लिए अनुदान प्रदान करेगा (एन0ई0पी0 2020 प्रष्ठ 72)।

बहु. विषयक शिक्षा की पृष्ठभूमि

औपचारिक शिक्षा का उद्गम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ है और इसकी यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाज के संरचनात्मक ढांचे के परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित हुई है अर्थात् जैसे-जैसे समाज की संरचना में परिवर्तन आते जाते हैं उसी के अनुरूप समाज अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन लाता है। शिक्षा के इस परिवर्तित स्वरूप को समझने के लिए हम प्राचीन और वर्तमान शिक्षा की संरचना, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत और योग्यता आदि का अवलोकन करके समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा अत्यधिक धार्मिक थी। उस समय व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य हुआ करता था। वर्तमान शिक्षा इस परिपाटी से भिन्न है क्योंकि वैज्ञानिकीकरण और औद्योगिकीकरण के परिवर्तित स्वरूप ने लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को पहले की अपेक्षा कम किया है और इसका कारण भौतिक संसार से अत्यधिक लगाव और उसकी वस्तुओं का उपभोग है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्राचीन भारतीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के द्वारा प्रस्तावित बहु विषयक शिक्षा में अत्यधिक समानता नजर आती है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विषय वर्ग जैसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है इसलिए अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्नातक स्तर पर अपने संकाय के विषय के साथ अन्य विषयों का मुख्य और गौण विषयों के माध्यम से अध्ययन कर सकेंगे। इसी प्रकार वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में भी विषयों के विशिष्टीकरण जैसी कठोर नियमावली नहीं थी। उस समय भी विद्यार्थी अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार परा और अपरा ज्ञान में विभाजित विषयों

का अध्ययन करता था। उस समय किसी भी कक्षा या विद्यार्थी के लिए निश्चित विषयों रूपी पाठ्यचर्या नहीं थी। इस समानता का प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रस्तावित बहु विषयक शिक्षा की जड़ें प्राचीन भारतीय समाज द्वारा विस्थापित शिक्षा में मौजूद थीं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

आज हम 21वीं सदी में जीवन यापन कर रहे हैं जहां झाड़फूंक तंत्र मंत्र से इतर औद्योगिक एवं वैज्ञानिक- क्रांति लाने वाले समाज की बात की जा रही है। वास्तव में जिस समाज की शिक्षा अपने व्यक्तियों का बहुपक्षीय विकास करती है वही समाज उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिस बहु विषयक शिक्षा की संस्तुति की गई है निसंदेह आज समय की आवश्यकता है कि व्यक्तियों को पुनः बहुत सोंच, बहुभाषी, बहु अनुशासित, बहु विषय ज्ञाता के रूप में शिक्षित किया जाए जिससे वह अपनी दिन-प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं को बिना किसी के सहायता के सुलझा पाए। अधिक व्यवहारिक रूप में समझा जाए तो आज व्यक्ति को अपने विषय विशेष के कौशलों को सीखने के साथ-साथ थोड़ा चिकित्सक, थोड़ा अर्थशास्त्री, थोड़ा तकनीशियन, थोड़ा व्यावहारिक आदि बनने की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है आज उन अंतर विषयक शिक्षण एवं शोध अध्ययनों की जिसमें विद्यार्थी न केवल उन बहु विषयक ज्ञान को सीखेगा बल्कि उनमें शोध के माध्यम से जानेगा कि किस प्रकार विज्ञान के परिवर्तित होने से सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बहु विषयक शिक्षा की आज वर्तमान शिक्षा में मांग है क्योंकि आज मशीनों द्वारा सीखना, बिग डेटा से शैक्षिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और इस शैक्षिक तकनीकी योग में समायोजन के लिए शिक्षा को बहु विषयी बनाने की आज समय की जरूरत है।

बहु. विषयक शिक्षा की भारतीय शिक्षा में संभावनाएं

वर्तमान बहु-विषयक शिक्षा उद्देश्य पूर्ण होगी और इसे प्राप्त करने की एक निश्चित क्रमबद्ध संरचना होगी और इस क्रमबद्ध संरचना से समय, धन व अन्य सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की भी सीमित करने में मदद मिलेगी जैसे पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए अब पूर्व की तरह संबंधित विषय में परास्नातक करने की कोई पूर्व शर्त नहीं होगी। इसके लिए अब विद्यार्थी " चार वर्ष के शोध के साथ स्नातक डिग्री" करने के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेगा। इस चार वर्षीय शोध के साथ स्नातक डिग्री में विद्यार्थी को चौथे वर्ष में एक प्रोजेक्ट या लघु शोध करना पड़ेगा जो अंतर विषयक अर्थात् विद्यार्थी अपने संबंधित संकाय के विषयों और अन्य संकाय द्वारा चुने गए विषयों से संबंधित चरों के अंतर संबंधों और एक दूसरे का प्रभाव आदि का अध्ययन कर सकेगा। इस प्रकार विद्यार्थी यहां बहु विषयक ज्ञान को सीखेगा। इस चार वर्षीय बी एड एकीकृत पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो शिक्षण कार्य में विशेष रुचि रखते हैं और इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उन्हें बहु विषयक माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहु विषयक पाठ्यक्रम संरचना से उन विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की काफी संभावनाएं बनी रहेंगी जिनका शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य केवल उपाधियां प्राप्त करना है। इसके साथ उन जन्मजात कौशलों वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचि आधारित व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षित करने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। इन बहु विषयक संस्थाओं में विद्यार्थी के स्थानान्तरण को क्रेडिट स्थानान्तरण के माध्यम से अधिक लचीला बनाया जाएगा जिससे विद्यार्थी की अपने ग्रह जनपद में शिक्षा प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे निश्चय ही सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा और इस तरह सीखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020, प्रष्ठ 60) में "बहु- विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय" नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना से निश्चय ही भारत की उच्चतर शिक्षा के लिए उच्च वैश्विक मानकों का विकास होगा जिससे अंतर्देशीय शैक्षिक मानकों की तुलना से और अधिक शैक्षिक सुधार की संभावनाएं विकसित होंगी। 2040 तक एकल शिक्षण संस्थाओं को बहु विषयक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी जैसे शिक्षण संस्थाओं में अनेक विभाग स्थापित होने से उनके संचालन के लिए और अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों की आवश्यकता से बेरोजगारी जैसी समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा जो वर्तमान में अपने चरम स्तर पर है। अल्प समय के लिए ही सही लेकिन यह सत्य है इन बहु विषयक शिक्षण संस्थाओं द्वारा 2030 तक एक वर्षीय बीएड, दो वर्षीय बीएड व चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों के संचालन से प्रवेश की मारामारी जैसी समस्या में शिथिलता आएगी। इस प्रकार इन अनेक रूप में बीएड कार्यक्रम के संचालन से निश्चित ही प्रवेश सीटों की संख्या बढ़ेगी जिससे प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को लगभग सामान्य प्रतियोगिता के आधार पर प्रवेश मिल जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालयों के बहु-विषयक शिक्षा में परिवर्तन से अन्य भाषाओं में सुधार के महत्वपूर्ण प्रयास संभव हो सकेंगे क्योंकि यह माना जाता है कि संस्कृत अधिकांश भाषाओं की जननी है। अब संस्कृत को अन्य भाषाओं के साथ पढ़ने पढ़ाने से दूसरी भाषाओं के व्याकरण शैली को सुधारने में सहायता मिलेगी। इसी तरह अन्य भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थी भी संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

अंतर विषयक शोध करने से विभिन्न विषयों या अनुशासनों में उनके अंतर संबंधों और एक दूसरे पर प्रभाव आदि को जाना जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने का उल्लेख है जिसके माध्यम से इन अंतर विषयक शोध अध्ययनों को निधि प्रदान की जाएगी जिससे शोध को प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह एक अंतर विषयक शोध संस्कृति का जन्म होगा।

उच्च शैक्षिक संस्थानों में बहु विषयक शिक्षा को अंगीकृत करने की अभिकल्पना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020, 69) में डिग्री कार्यक्रम की संरचना में कुछ परिवर्तन करने की बात की गई है। अब स्नातक की अवधि पूर्व की तरह तीन या चार वर्ष की होगी लेकिन इस तीन या चार वर्षीय संरचना को अत्यधिक लचीला बनाया गया है।

अब स्नातक स्तर पर विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष "बहु प्रवेश और बहु निकासी" के माध्यम से उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रकार अब उसका स्नातक का कोई वर्ष अनुपयोगी नहीं माना जायेगा जैसे स्नातक का एक साल पूर्ण कर लेने पर सर्टिफिकेट, दो साल पूर्ण करने पर डिप्लोमा, तीन साल पूर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री और चार वर्षीय स्नातक पूर्ण करने के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर कार्यक्रम कुछ इस प्रकार प्रदान किए जाएंगे जैसे जिन विद्यार्थियों ने स्नातक डिग्री के तीन साल पूर्ण किए हैं वे विद्यार्थी परास्नातक के लिए दो वर्ष बिताएंगे और उनके लिए परास्नातक का द्वितीय वर्ष शोध पर आधारित होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शोध सहित स्नातक की चार वर्षीय डिग्री प्राप्त की है उनके लिए परास्नातक कार्यक्रम एक वर्षीय होगा इसके अलावा यह बहु विषयक शिक्षण संस्थाएं पांच वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी चलाएंगी। अब पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर अथवा चार वर्षीय शोध के साथ स्नातक की डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों द्वारा बहु-विषयक शिक्षा को अंगीकृत करने का अभिकल्प

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है और कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में बहु विषयक शिक्षा को लागू कर दिया है। एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर-प्रदेश ने स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षिक सत्र 2021-22 से कुछ परिवर्तन के साथ बहु विषयक शिक्षा को लागू किया है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी अब दो मुख्य विषयों का अध्ययन अपने संकाय विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि से करेगा। इसके साथ ही एक और मुख्य विषय का चयन वह अपने संकाय या अन्य संकाय से करेगा। इन तीन मुख्य विषयों के अलावा विद्यार्थी को एक गौण विषय का चयन अपने संकाय अन्य संकायों से करना होगा। तीन मुख्य विषयों की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व शर्त होगी लेकिन चौथे गौण विषय का चुनाव विद्यार्थी बिना किसी पूर्व शर्त के कर सकेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने अपने पत्रांक संख्या 10921 दिनांक 27 अगस्त 2021 के आलोक में शैक्षिक सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश बहु विषयक शिक्षा के अनुसार किए। इस संस्थान में अध्ययनरत स्नातक विद्यार्थियों को अब तृतीय वर्ष या पांचवें व छठे सेमेस्टर में एक लघु शोध परियोजना करनी होगी। यह लघु शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चयनित किसी भी एक विषय में होगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक संख्या 353 व दिनांक 19 सितंबर 2021 के जरिए सत्र 2021-22 के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश बहु विषयक शिक्षा के अनुसार किए। इस संस्थान के विद्यार्थी स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों में दो को अपने संकाय से लेगा और तीसरा मुख्य विषय अपने या अन्य से लेगा। विद्यार्थी चौथा गौण विषय अनिवार्य रूप में अन्य संकाय से करेगा। निकास और पुनः प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार होगी जैसे स्नातक स्तर पर एक वर्ष या दो सेमेस्टर पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट के साथ निकासी, दो वर्ष या चार सेमेस्टर के बाद डिप्लोमा के साथ, तीन वर्ष या छः सेमेस्टर के बाद डिग्री के साथ निकासी। इस प्रकार विद्यार्थी निकासी के बाद पुनः प्रवेश ले सकेगा। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी जिस विषय में कम से कम 60: क्रेडिट पाएगा उसी संकाय या विषय में उसको डिग्री दी जाएगी और तदुपरांत वह

उस संकाय से परास्नातक कर सकेगा लेकिन यदि वह 60: क्रेडिट प्राप्त करने में असफल रहता है तो उस विद्यार्थी को स्नातक स्तर के तीन वर्षों बाद "उदार शिक्षा में स्नातक की डिग्री" दी जाएगी। ऐसे में वह परास्नातक उन विषयों में ही कर पाएगा जिनमें कोई पूर्व शर्त न रखी गई है। राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के तत्त्वार्थ में एक कुलपति संवाद नामक बैठक की जो वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई थी। यह बैठक 21 से 23 अक्टूबर 2020 तक की गई थी और इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गए थे जैसे स्टार्टअप ऊष्मायन केंद्र, शोध केंद्र और तकनीकी विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालय निम्न तरह से एकरूपता लाएंगे जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहु प्रवेश व निकासी के अनुसार पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पंचांग में बदलाव और कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार व्यवसायिक पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहु विषयक शिक्षा की समस्याएं एवं उसका निराकरण

समस्याएं

बहु विषयक शिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित होने के लिए इन शिक्षण संस्थानों को और अधिक संसाधनों व सरकारी सहयोग जैसे संस्थान का क्षेत्रफल, शिक्षण सामग्री, संस्थान की चहारदीवारी, कर्मचारी, शिक्षक, आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान आज की आवश्यकता होगी क्योंकि सीमित संसाधनों में इस प्रणाली का लागू करना असंभव होगा।

अंतर विषयक अनुसंधान करने के लिए शोधार्थियों, निर्देशनकर्ताओं और अन्य शोधार्थियों को विशेष बहु विषयक ज्ञान, प्रतिभा और कौशल की आवश्यकता होगी इसलिए संभावना है कि प्रारंभिक दौर में इस प्रकार के शोध अध्ययनों के लिए यह लोग विशेष प्रशिक्षण का अनुभव महसूस कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या यह उभर कर आ सकती है कि निजी संस्थान अपने सीमित संसाधनों की वजह से अगले दो दशकों बाद भी अर्थात् 2040 तक बहु विषयक संस्थान में परिवर्तित होने की असहमति प्रकट कर दें। अब ऐसी स्थिति में तुरंत उनकी मान्यता रद्द कर देना भी उचित नहीं होगा ऐसा तब जब किसी क्षेत्र विशेष में शैक्षिक संस्थाएं बहुत ही कम हों।

विद्यार्थी मुख्य और गौण विषयों के चयन के समय भिन्न भिन्न समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं जैसे जल्दबाजी में किसी ऐसे मुख्य और गौण विषय का चुनाव कर लिया जाए जिसका कोई पूर्व ज्ञान और प्रेरणा उनको नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उनसे उस मुख्य और गौण विषय में कम से कम उस वर्ष परीक्षा में सफल होने की बाध्यता को एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक उदासीनता प्रमुख समस्याओं में से एक है क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति और उसका क्रियान्वयन तब तक पूर्ण रूप में नहीं हो सकता जब तक सत्ता में बैठे लोग पूर्ण मनोयोग, ईमानदारी और जनहित कल्याण से अनुप्रेरित होकर इस

प्रयास को सफल बनाने के लिए आगे नहीं आ जाते लेकिन बोल बड़े और कारनामे छोटे हैं क्योंकि इसका एक प्रमाण है कि शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा संस्तुति जीडीपी का 6: शिक्षा पर खर्च आज तक ना हो सका।

समस्याओं का निराकरण

सार्वजनिक संस्थानों को वित्त प्रदान करने की श्रंखला बहुत ही पारदर्शी हो। इन उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहु विषयक संस्थान में परिवर्तित होने के लिए पारदर्शी रूप से अनावर्ती अनुदान प्रदान किए जाएं जिससे उनको बहु विषयक संस्थान बनने के लिए कोई आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।

विद्यार्थियों को अन्य संकाय के मुख्य और गौण विषय के चुनने के लिए शिक्षकों को उनमें प्रेरणा का संचार करना होगा। इस प्रेरणा संचार के प्रयास इंटरमीडिएट स्तर से ही किए जाएं क्योंकि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश से पूर्व विद्यार्थी उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अंग नहीं होता है इसलिए संभव है कि उसे वहां कोई परामर्श न प्राप्त हो। बिना व्यावसायिक परामर्श के अभाव में वह अरुचिपूर्ण विषयों को चुनकर प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम अंजाम दे सकता है जिसका बाद में संशोधन संभव ना हो सके। इस प्रकार इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रबंध कमेटी को इस विषय में विशेष दिशा निर्देश जारी-किए जाएं।

राजनीतिक उदासीनता और व्यक्तिगत विकास से दूर हटकर सामाजिक विकास के विषय में सोचना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए तभी हम अपनी शैक्षिक संस्थाओं को पूर्ण रूप में बहु विषयक में विस्थापित कर पाएंगे। इस नीति में दोहराई गई संस्तुति कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च अब हर हाल में करना ही होगा क्योंकि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय कभी अपने बहु विषयक साहित्य भंडार के लिए जाने जाते थे। इस नीति में शिक्षा द्वारा फिर से उसी समाज के निर्माण की कल्पना की गई है जिसे पूर्ण करने के लिए शिक्षा पर 6 प्रतिशत खर्च करना अति आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

निश्चित ही आज समय की मांग है कि व्यक्ति के बहुपक्षीय विकास के लिए उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास के समन्वित प्रयास किए जाएं। इन तीनों पक्षों का विकास तभी संभव है जब विषय वर्ग की पुरानी परिपाटी या विषयों में विभाजन रेखा को समाप्त कर विद्यार्थियों को रुचि व योग्यतानुसार विषय चयन के अवसर दिए जाएं। सभी विषयों की अपनी मूल प्रकृति होती है और इसी मूल प्रकृति सम्भवतः ही बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने में यह विषय सहयोग करते हैं। कुछ विषयों की प्रकृति ज्ञानात्मक भाव की, कुछ की भावात्मक तो कुछ की क्रियात्मक होती है। सामाजिक विज्ञान विषयों की प्रकृति अधिकांशतः ज्ञानात्मक और भावात्मक होती है तो वहीं प्राकृतिक विज्ञान विषय मनुष्य के क्रियात्मक पक्षों को विकसित करते हैं और गौण रूप में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पहलुओं को इसलिए यह आवश्यक हो जाता

है कि भारतीय समाज के मनुष्यों को अगर पहले से अधिक रचनात्मक, क्रियात्मक, आनुभविक, आत्मनिर्भर, जागरूक, संतुलित स्वभाव और बौद्धिक रूप से कुशाग्र बनाना है तब विषयक शिक्षा को अपना ही होगा।

सन्दर्भ सूची

लाल, आर0बी0 एवं शर्मा (2015). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, मेरठ, : आर लाल पब्लिकेशन।

गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता (2015). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता (2016). समकालीन भारत और शिक्षा, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

मंगल, एस0के0 एवं मंगल (2014). व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियां, दिल्ली : पी0एच0आई0 लर्निंग।

वेबलिंक

https://www.education.gov.in/uploa_bhdfiles/mere/files/nepfinal-hiwdio.pdf

http://hindi_nisha.org/new-national-education-policy

https://india_scheme.com/national-education-policy

<http://rajbhavanmp.in/ne>

<http://www.education.gov.in/sites/upload-files/mard/files/doc3487.pdf>

<http://mgkvp.ac.in/upload/notification/circulars-1418.pdf>

<http://www.vbspu.ac.in/wp-content/uploads/2021/08/ne.pdf>

<http://www.livehindustan.com/career/story-lukhnow-university-new-education-policy-will-be-applicable-only-on-lu-first-year-students-4751665-amp-ht>

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-3, October 2022

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number-Oct-2022/08



Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

अमर सिंह एवं डॉ० गौरव राव

For publication of research paper title

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहु विषयक शिक्षा, 2020”

Published in ‘The Research Dialogue’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and

E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year-
2022.


Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor


Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must
be available online at www.theresearchdialogue.com